न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/03/2018	02–01–2018	17–12–2018

1–कंवर सिंह यादव पुत्र श्री लोकराम यादव जाति अहीर निवासी ग्राम दाईका पोस्ट कतोपुर (कुतुबपुर) तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान।

–प्रार्थी

बनाम

1–तहसीलदार कोटकासिम जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री विकमसिंह महलावत –वकील प्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर तहसीलदार कोटकासिम के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी कंवरसिंह बनाम सरकार को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व वाद बअनुवानी कंवरसिंह बनाम सरकार तहसीलदार कोटकासिम में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि सीमाज्ञान व पत्थरगढी कराये जाने बाबत एक प्रार्थना–पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम जिला अलवर के समक्ष पेश किया गया। जिस पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा तहसीलदार कोटकासिम को दिनांक 23.06.2017 को आदेश फरमाया कि आराजी खसरा नम्बर 140/0.53 है0 वाके ग्राम दाईका तहसील कोटकासिम मुताबिक पैमाइश रिपोर्ट दिनांक 17.10.2016 के अनुसार दोनों पक्षों की मौजूदगी में सीमाज्ञान कराया जाकर पत्थर गढी करवायी जाये। उपरोक्त आदेश के बाद से आज तक तहसीलदार कोटकासिम द्वारा उक्त आदेशों की पालना में सीमाज्ञान व पत्थर गढी नहीं करवायी गयी है, ना ही कोई तारीख पेशी लगाई गई है। प्रार्थी के विरोधी पक्ष के लोगों द्वारा प्रार्थी को बार–बार यह कहा जाता है कि क्षेत्रीय विधायक उनका खास आदमी है। जिसके माध्यम से तहसीलदार साहब के पास जुगाड बेठ गया है। जिससे वे उपरोक्त आराजी की पत्थरगढी नहीं होने देंगे। तहसीलदार साहब से निस्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त पत्रावली को तहसीलदार कोटकासिम से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

हमनें पत्रावली एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि इस न्यायालय में उक्त प्रकरण का निस्तारण दिनांक 23.06.2017

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम द्वारा प्रकरण को निस्तारण किया जा चुका है। प्रकरण तहसीलदार कोटकासिम के स्तर पर विचाराधीन है। तहसीलदार कोटकासिम द्वारा उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के निर्णय दिनांक 23.06.2017 की पालना आदिनांक तक नहीं की गयी है। अतः तहसीलदार कोटकासिम को निर्देशित किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम के निर्णय दिनांक 23.06.2017 की पालना 15 दिवस में कर न्यायालय हाजा को पालना रिपोर्ट से अवगत करावें। पत्रावली इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है।

निर्णय प्रति तहसीलदार कोटकासिम को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **17–12–2018** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)